न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2017/00194 (258/2017) 225 आरटीएक्ट

1. सुरजनसिह
2. सुखदेवसिंह
3. बलदेवसिंह

} पुत्रगण स्व0 मुखत्यारसिह जाति जटसिख निवासीगण रामपुरा नारायणपुरा तहसील अबोहर, जिला फाजिल्का (फाजिल्का)

–अपीलाण्ट

बनाम

1. राजसिंह पि0 मु0 स्व0 चगड़सिंह जाति जटसिख निवासी रामपुरा नारायणपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) –असल रेस्पोडेण्ट/प्राथी
2. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ।

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2017 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया प्रकरण संख्या 88/2014 बअनवानी राजसिंह बनाम सुरजनसिंह आदि

उपस्थितः–

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री नरेश पारिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः–08.04.2019

1. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में अपनी भूमि में जाने के लिए चक 11 केएसडी के प. नं. 128/108 मु. नं. 29 के किला नं. 1 व 10 में उत्तर से दक्षिण में पत्थर लाईन के साथ–साथ दो दो बिस्वा रास्ता मन्जूर करने व राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी गैर मुमकिन रास्ता आराजी के रूप में दर्ज किये जाने व उक्त रास्ता मौका पर चालू करवाये जाने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत रास्ता के स्वीकृति के आदेश दिये, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायायल ने रास्ता अभियान में बिना नोटिस के स्वीकृत किया है। प्रकरण में आदेश 7 नियम के 11 के प्रार्थना पर के विचाराधीन थी किन्तु अभियान में बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। मु. नं. 1, 10 में रास्ता स्वीकृत किया गया है जबकि किला नं. 1 में अपीलाण्ट की पानी की डिग्गी बनी हुई है। अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को बिना सुने पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायलाय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज0)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि रेस्पोडेण्ट को अपनी भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान की सभी पक्षकारो को जानकारी रहती है। रेस्पोडेण्ट को अपनी भूमि में आने जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता को मद्देनजर ही रास्ता स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट ने अपनी भूमि में आने जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा था, जिस पर विचारण न्यायालय तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन निर्णय द्वारा रास्ता स्वीकृत किया है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के लिए चल रही थी। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का निर्णय नहीं हुआ और बहस हेतु पत्रावली अभियान में रखी गई और उसमें पक्षकार की कोई बहस नहीं सुनी गई। तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय किया गया है। उसमें भी आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का कोई हवाला नहीं दिया गया कि प्रार्थना–पत्र चल सकता है या नहीं। अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर बहस नहीं सुनी गई। अभियान में पक्षकारान में से कोई भी उपस्थित नहीं था न ही अधीनस्थ न्यायालय को फर्द अहकाम पर अपीलाण्ट के उपस्थित होने एवं बहस सुनने का कोई अंकन है। अपीलाण्ट द्वारा जो तथ्य अपील में उठाये गये हैं वे तथ्य उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उठाये जा सकते थे। किन्तु न तो पक्षकार अथवा उनके वकील निर्णय के समय उपस्थित थे न बहस सुनी गई। अभियान में एक तरफा प्रकरण को निस्तारित किया गया जो उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए रास्ता स्वीकृत करने के संबंध में युक्तियुक्त निर्णय पारित करे।
7. उपरोक्त विवेचन एवं विलेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर संगरिया का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.06.2017 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए रास्ता स्वीकृत करने के संबंध में युक्तियुक्त निणय पारित करे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.05.2019 को उपस्थित हों। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official